कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड/ COCHIN SHIPYARD LIMITED

सामग्री विभाग/ MATERIALS DEPARTMENT

MAT/MSME/2016 27 September 2018

सूक्ष्म और लघु उद्यमों केलिए विशेष प्रावधान (एमएसई)
SPECIAL PRIVILEGES FOR MICRO & SMALL ENTERPRISES (MSEs)

A. एक वैध उद्यमी ज्ञापन (ईएम) भाग II प्रमाण पत्र या उद्योग आधार प्रमाणपत्र धारित और जिन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) में अपना उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) संख्या घोषित किए सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को निम्नलिखित लाभ बढ़ाया गया है।

The following benefits are extended for all Micro and Small Enterprises (MSEs) holding a valid Entrepreneurs Memorandum (EM) Part II certificate or Udyog Aadhar certificate and who have declared their Udyog Aadhar Memorandum (UAM) number in Central Public Procurement Portal (CPPP).

i) निविदा प्रपत्र मुफ्त में जारी किया जाएगा/ Tender forms shall be issued free of cost.

ii) ईएमडी के भुगतान में छूट दी जाती है/ Payment of Earnest money Deposit (EMD) is exempted.

iii) दिनांक 23 मार्च 2012 (वर्तमान में 358 मदें) के एमएसएमई आदेश के भाग के रूप में प्रकाशित मदों की सूची अनन्य रूप से एमएसई फर्म से ही प्रापण करना चाहिए ।

The list of items published as part of MSME order dated 23rd March 2012 {currently 358 items} shall be procured exclusively from MSE firms only.

B. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ पंजीकृत उन एमएसई को एनएसआईसी प्रमाणपत्र में उल्लिखित वित्तीय सीमा तक सुरक्षा जमा (एसडी) की छूट दी जाती है। फिर भी प्रदान की गई आपूर्ति / सेवा की वस्तुओं की गारंटी बैंक गारंटी (बीजी) के माध्यम से सुनिश्चित की जानी चाहिए।

Additionally, waiver of Security Deposit (SD) is extended to those MSEs registered with National Small Industries Corporation (NSIC), up to financial limit as mentioned in NSIC Certificate. However guarantee of the items supplied/ service provided, has to be ensured through a Bank Guarantee (BG).

C. निविदा के अनुसार जब आपूर्ति / सेवा विभाजित प्रकृति की होती है, निविदा आवश्यकता के 20% के लिए, एमएसई को 15% खरीद (जहाँ एल 1 गैर एमएसई है, मूल्य बान्ड एल1 +15% के भीतर वाले एमएसईयों को अपने मूल्य को एल 1 मूल्य तक कम करना है) वरीयता बढ़ा दी जाएगी। यदि एकाधिक एमएसई विक्रेता उपर्युक्त शर्तों को पूरा करते हैं, तो 20% निविदा आवश्यकता को समान रूप से विभाजित किया जाएगा। इस

परिदृश्य में, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विक्रेताओं को वरियता दी जाएगी कि उन्हें उपर्युक्त एमएसई आदेश के अनुसार 20% में से न्यूनतम 4% हद तक आपूर्ति करने की अनुमति है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विक्रेताओं को उपर्युक्त मानदंडों में अर्हता प्राप्त करने केलिए जिला उद्योग केन्द्र/ एनएसआईसी से वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

When supply/ service as per tender is divisible in nature, 15% Purchase Preference will be extended to the MSEs (MSEs within price band of L1+15 per cent, to bring down their price to L1 price, where L1 is non MSEs), for 20% of the tender requirement. If multiple MSE vendors satisfy the above condition, the 20% requirement shall be divided equally. In this scenario, preference shall be given to SC/ ST vendors to such an extent that they are allowed to supply minimum 4% out of the 20% in line with the aforementioned MSME order. SC/ ST vendors shall submit a valid certificate from District Industries Centre/ NSIC, for qualifying in the above criteria.

D. यदि आवश्यकता गैर-खंडित या गैर-विभाजित हो तो, , एमएसई से सरकारी खरीद बढ़ाने के लिए नीति की भावना पर विचार करते हुए निविदा में एमएसई प्रतिभागियों को उपर्युक्त 15% खरीद वरीयता पूर्ण (आरोही क्रम में) रूप से बढ़ा दी गई है।

In case requirement is non-splitable or non-divisible, the above 15% Purchase Preference, is extended to MSE participants in the tender, in full (in the ascending order), considering spirit of policy for enhancing the Government procurement from MSEs.

अजित कुमार एन/ Ajith Kumar N
नोडल अधिकारी/ Nodal Officer
Implementation of PPP for MSEs, Make in India, Startups